तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
10/04/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर रख ले न्यायालय उठाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 25 / 2023

प्रार्थीगण :—

1. गंगदाराम पुत्र मालाराम
2. चेना पुत्र कचरा
3. पांचूदेवी पत्नी मालाराम
4. पार्वती पत्नी कचरा
5. रावताराम पुत्र मालाराम
6. सांवला पुत्र कचरा
7. हीरा पुत्र कचरा
   जाति कलबी निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. चतरूदेवी पत्नी मदनलाल
2. हरीराम पुत्र सोनाराम फौत के वारीस :—
   2/1 पुखराज पुत्र हरीराम
   2/2 मदनलाल पुत्र हरीराम
3. पदमाराम पुत्र हरीराम फौत के वारीस :—
   3/1 देसू पुत्री पदमा
   3/2 दाडमी पुत्री पदमा
   3/3 गंगा पुत्री पदमा
   3/4 ईश्वर पुत्र मदमा
   3/5 जयन्तिलाल पुत्र पदमा
   3/6 छगन पत्नी यपदमा जातियान माली
4. राणा पुत्र रूगनाथ
5. अशोक पुत्र काना
6. पुखराज पुत्र काना
7. पवनी पत्नी काना
8. राजू पुत्र काना
9. पना पुत्र रूगनाथ फौत के वारीस :—
   9/1 नेनाराम पुत्र पना
   9/2 चांपा पुत्र पनाराम
   9/3 होती पुत्र पना
   9/4 पीटा पुत्र पना
   9/5 गेना पुत्र पना
   9/6 सोना पुत्र पना
10. तारा पुत्र खेता
11. मिरगा पत्नी खेता
12. सामा पुत्र खेता
13. सांवला पुत्र खेता जातियान भील
14. जगाराम पुत्र पना
15. नरिगा पुत्र पना
16. पना पुत्र उका
17. सांवला पुत्र पना
18. हीरा पुत्र पना
19. कृष्ण पुत्र दोला
20. मीरां पत्नी दोला
21. हरदाराम पुत्र दोला जातियान कलबी
22. अचलाराम पुत्र रावताराम
23. अणसी पत्नी मदरूपा
24. इन्दु पुत्री प्रबताराम
25. गवरी पत्नी प्रबताराम
26. चेनाराम पुत्र ईशरा
27. जगाराम पुत्र प्रबताराम
28. जेसा पुत्र मदरूपा

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

...ाराम पुत्र प्रबताराम
...ु पुत्री प्रबताराम
31. दजा पुत्र जेठा
32. दूदा पुत्र जेठा
33. नगाराम पुत्र प्रबताराम
34. मारणा पुत्र केवदा
35. मारणाराम पुत्र मानाराम
36. प्रभुराम पुत्र मानाराम
37. प्रवीण पुत्री मानजी
38. भगा पुत्र केवदा
39. भूराराम पुत्र ईसरा
40. भेराराम पुत्र ईशरा
41. भारमल पुत्र ईशरा
42. मथरो पुत्री प्रबता
43. मफी पुत्री प्रबता
44. राहुल पुत्र नानजी
45. वगतू पत्नी नानजी
46. सांवला पुत्र केवदा जातियान कलबी
47. नरेन्द्रसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति राजपूत निवारी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी
48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा भाखरपुरा पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 90 रकबा 3.2375 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपरिथिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के राजस्व ग्राम भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 90 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद / 2023 / 323 दिनांक : 12/5/23

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गंगदाराम	बाड़	पतस्देवी लौरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 95/23 निर्णय दिनांक :– 10/5/23

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम भास्करपुरा के खेत खसरा नम्बर 90 रकबा 3.2375 है. खसरा नम्बर – रकबा – खसरा नम्बर – रकबा – खसरा नम्बर – रकबा – एवं खसरा नम्बर – रकबा – की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 1000/ प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 12/5/23

क्रमांक: वाद / 2023 / 324-25
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी गुडामालानी
3. हल्का पटवारी भास्करपुरा को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी गंगदाराम
5. विप्रार्थी पतस्देवी

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी